राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1826/2019

रामेश्वर प्रसाद

–अपीलार्थी

बनाम

1. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिरीक्षक, पुलिस, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.07.2019
आदेश की दिनांक : 09.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम.महर्षि/उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 28.06.2019 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2016 से हैड कांस्टेबल घोषित किया जावे। दिनांक 16.08.2016 से जो अपीलार्थी को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28 के तहत जारी किया गया। साथ ही अपीलार्थी को ए.एस.आई. के पद पर विशेष पदोन्नति देते हुए पी.सी.सी. भेजने के निर्देश जारी किए जावें तथा सहायक उप निरीक्षक के पद के समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2001 में कांस्टेबल के पद पर जिला कोटा में हुई थी और बाद में उसे ए.टी.एस., राजस्थान, जयपुर वर्ष 2008 में स्थानान्तरण किया गया। अपीलार्थी जब ए.टी.एस. में पदस्थापित था तो उस समय कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए नियुक्त किया गया। वर्ष 2012 में कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए अपीलार्थी अपनी जान जोखिम में डालते हुए कठिन परिश्रम के साथ उसने कई अपराधी गिरफ्तार किए जाने में सहयोग किया, जिसके चलते अपीलार्थी को उत्तम सेवा चिन्ह, नकद पुरूस्कार एवं प्रशस्ति पत्र आदि से विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। अपीलार्थी के साथ

श्री हरि सिंह, कांस्टेबल एवं श्री रामस्वरूप, कांस्टेबल को भी ड्यूटी में भेजा गया, जिसमें कुख्यात अपराधी शंकर उर्फ संदीप, गैंग लीडर राजू जिन्हें जिला सीकर, हरियाणा एवं अन्य जगहों पर जाकर पकड़ा जो हत्या, लूट, स्मगलिंग एवं ड्रग्स जैसे अपराधों में लिप्त थे। आई.जी. जयपुर रेंज, जयपुर द्वारा रूपये 10,000/– का ईनाम घोषित किया गया और साथ ही बीकानेर पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त अपराधियों की सूचना देने बाबत् रूपये 3,000/– का ईनाम घोषित किया गया। अपीलार्थी एवं अन्य सहयोगियों द्वारा उक्त ईनामी व कुख्यात अपराधी पकड़े गए। पकड़ने वालों साहसी पुलिस कर्मियों के लिए अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस द्वारा विशेष पदोन्नति प्रदान किए जाने बाबत् पुलिस अधीक्षक, जयपुर को दिनांक 27.05.2016 को पत्र लिखा, जो अनुलग्नक–1 से प्रकट होता है, जिसमें अपीलार्थी का नाम अंकित है और आदेश दिनांक 12.08.2016 के द्वारा अपीलार्थी एवं श्री हरि सिंह जो उक्त कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मी थे, को पुलिस महानिदेशक के आदेश दिनांक 12.08.2016 के द्वारा सराहनीय कार्य किए जाने के फलस्वरूप पुरूस्कार एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा पर इनका नाम राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28 (अ) में अंकित प्रावधानानुसार वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम (पी.सी.सी.) के लिए नामांकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, कोटा के द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.09.2016 (अनुलग्नक–3) जिसमें हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक एवं कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2016–17 आयोजित करने के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोटा को सूचित किया गया। अपीलार्थी उक्त पद की योग्य होने के कारण उसने परीक्षा में बैठने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ओर अपीलार्थी हैड कॉन्स्टेबल योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित हुआ तथा उसे पीटीएस किशनगढ दिनांक 30.04.2017 को रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित किया गया और दिनांक 21.04.2017 को पीसीसी के लिये भेज दिया गया। पीसीसी कोर्स सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर उसे नियमित पदोन्नति हैड कॉन्स्टेबल आदेश दिनांक 19.01.2018 के द्वारा दी गई। उनका कथन है कि अपीलार्थी को राजस्थान पुलिस अधिनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 28 अ के अंतर्गत ना तो पीसीसी भेजा गया और ना ही हैड कॉन्स्टेबल की पद की पदोन्नति का लाभ दिया गया। अपीलार्थी कोटा शहर में हैड कॉन्स्टेबल की रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध योग्यात्मक परीक्षा में बैठा और उत्तीर्ण होने से उसे नियमित पदोन्नति प्रदान की गई जबकि उक्त नियमों के आधार पर अपीलार्थी को विशिष्ट पदोन्नति का लाभ नहीं

दिया गया। अपीलार्थी ने विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परन्तु उस पर कोई विचार नहीं किया गया जबकि पुलिस महानिदेशक द्वारा आदेश दिनांक 16.08.2016 जिसमें यह प्रावधान है कि विशेष पदोन्नत आदेश के उपरान्त विशेष पदोन्नति आदेश दिनांक से पूर्व की रिक्तियों के आधार पर नियमित पदोन्नति हो जाने की स्थिति में विशेष पदोन्नति नियमित पदोन्नति में अग्रिम पद पर मानी जावे। इसी प्रकार आरपीएसएस नियम 1989 के नियम 10 के अंतर्गत रिक्तियों का निर्धारण प्रत्येक वर्ष के एक अप्रैल को किया जाना चाहिए और आदेश दिनांक 05.04.2017 में यह उल्लेखित है कि पदोन्नति के लिये उसकी अनुभव की गणना एक अप्रैल से की जायेगी। उक्त प्रावधानों के बावजूद अपीलार्थी को विशेष पदोन्नति का कोई लाभ नहीं दिया गया, जबकि अपीलार्थी के साथ सहयोगी पुलिसकर्मी श्री हरि सिंह को सहायक उप निरीक्षक के पद पर वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत कर दिया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग का यह कृत्य मनमाना एवं दुर्भावनापूर्ण प्रकट होता है जो सेवा नियमों के विरूद्ध है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 28.06.2019 के द्वारा अपीलार्थी का नाम बिना कोई मौका दिए एवं कारण बताए विशेष पदोन्नति प्रदान करने की सूची से हटा दिया गया, जो विधि के विरूद्ध है।

अतः उपरोक्त आधारों पर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 28.06.2019 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2016 से हैड कांस्टेबल घोषित किया जावे। दिनांक 16.08.2016 से जो अपीलार्थी को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28 के तहत जारी किया गया। साथ ही अपीलार्थी को ए.एस.आई. के पद पर विशेष पदोन्नति देते हुए पी.सी.सी. भेजने के निर्देश जारी किए जावें तथा सहायक उप निरीक्षक के पद के समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि पुलिस अधीक्षक ए.टी.एस. के मार्फत महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 23.03.2017 के द्वारा अपीलार्थी का नियमित पदोन्नति जिला पुलिस अधीक्षक कोटा शहर के यहां से हैड कांस्टेबल में हो जाने के कारण आदेश दिनांक 12.08.2016 में संशोधन करने व अपीलार्थी की पदोन्नति हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के पद पर करने का निवेदन किया गया था, जो स्वीकार योग्य नहीं है। आदेश दिनांक 16.08.2016 के पैरा संख्या 3 में स्पष्ट किया हुआ है कि विशेष पदोन्नति आदेश से पूर्व की रिक्तियों के

आधार पर नियमित पदोन्नति हो जाने की स्थिति में ही विशेष पदोन्नति अग्रिम पद पर मानी जावेगी। अपीलार्थी द्वारा जारी किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करते हुए दिनांक 03.08.2016 को रिवार्ड कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय को निरस्त करते हुए दिनांक 28.06.2019 को आदेश जारी करते हुए रिवार्ड कमेटी द्वारा डी.जी.पी. डिस्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अपीलार्थी का विशेष पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम आदेश दिनांक 12.08.2016 को जारी हुआ था व जिला पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर के यहां से नियमित पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम आदेश दिनांक 08.03.2017 को जारी हुआ है, जो कि एक ही वित्तीय वर्ष में जारीशुदा है। अपीलार्थी का विशेष पदोन्नति आदेश व नियमित पदोन्नति आदेश एक ही वित्तीय वर्ष में होने के कारण अपीलार्थी द्वारा महानिरीक्षक पुलिस अपराध शाखा, जयपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2018 को स्वीकार नहीं किया गया। नियम 28 (अ) पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के लिए विशेष मन्नोनयन जिसमें विशेष पदोन्नति विशेष कार्य के लिए दिए जाने का प्रावधान किया गया है लेकिन यह तय करना कि विशेष पदोन्नति दी जावे या नहीं दी जावे महानिदेशक पुलिस के क्षेत्राधिकार में है तथा वह यह तय करेंगे कि पक्षकार को पदोन्नति दी जावे अथवा नहीं दी जावे। आदेश दिनांक 28.06.2019 के द्वारा अपीलार्थी को विशेष पदोन्नति निरस्त करते हुए डी.जी.पी. डिस्क प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया है कि विशेष पदोन्नति आदेश के उपरांत विशेष पदोन्नति आदेश दिनांक से पूर्व की रिक्तियों के आधार पर नियमित पदोन्नति हो जाने की स्थिति में विशेष पदोन्नति नियमित पदोन्नति के अग्रिम पद पर मानी जावेगी। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन गलत है कि विशेष पदोन्नति वर्ष में नियमित पदोन्नति हो जाने से विशेष पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकती। उनका यह भी कथन है कि नियम, 1989 के नियम 28 (अ) के अंतर्गत जारी विशेष पदोन्नति आदेश दिनांक 12.08.2016 को कमेटी द्वारा दो वर्ष चार माह बाद निरस्त किया जा रहा है और डी.जी.पी. डिस्क जो बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना किसी कारण के दिया जा रहा है जो अनुचित व अवैद्य है। अपीलार्थी के साथ तीन कांस्टेबल जो श्री हरि सिंह एवं श्री रामस्वरूप जो नियमित पदोन्नति उपरांत हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान की गई जबकि अपीलार्थी का नाम निरस्त कर दिया गया, जो अनुचित व मनमानापूर्ण प्रकट होता है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2001 में कांस्टेबल के पद पर जिला कोटा में हुई थी और उसे ए.टी.एस., राजस्थान, जयपुर वर्ष 2008 में स्थानान्तरण किया गया। अपीलार्थी ने वर्ष 2012 में कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किए जाने में अहम भूमिका निभाई, जिसके चलते अपीलार्थी को उत्तम सेवा चिन्ह्, नकद पुरूस्कार एवं प्रशस्ति पत्र आदि से विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। अपीलार्थी के साथ श्री हरि सिंह, कांस्टेबल एवं श्री रामस्वरूप, कांस्टेबल ने भी कुख्यात ईनामी अपराधियों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। अहम भूमिका निभाने वाले साहसी पुलिस कर्मियों के लिए अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस द्वारा विशेष पदोन्नति प्रदान किए जाने बाबत् पुलिस अधीक्षक, जयपुर को दिनांक 27.05.2016 को पत्र लिखा, जो अनुलग्नक–1 से प्रकट होता है, जिसमें अपीलार्थी का नाम अंकित है और आदेश दिनांक 12.08.2016 के द्वारा अपीलार्थी एवं हरि सिंह द्वारा सराहनीय कार्य किए जाने के फलस्वरूप पुरूस्कार एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा पर इनका नाम राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28 (अ) में अंकित प्रावधानानुसार वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम (पी.सी.सी.) के लिए नामांकन किया गया। उसी दौरान अपीलार्थी ने हैड कांस्टेबल पद के लिए योग्यात्मक परीक्षा उत्तीर्ण की और उसे हैड कांस्टेबल के पद पर नियमित पदोन्नति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध दी गई। पीसीसी कोर्स सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर उसे नियमित पदोन्नति हैड कॉन्स्टेबल आदेश दिनांक 19.01.2018 के द्वारा दी गई। परंतु अपीलार्थी को राजस्थान पुलिस अधिनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 28 (अ) के अंतर्गत न तो पीसीसी भेजा गया और न ही हैड कॉन्स्टेबल की पद की पदोन्नति का लाभ दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को जघन्य अपराध करने वाले ईनामी व कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाये जाने पर एवं कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 12.08.2016 के द्वारा अपीलार्थी का नाम विशेष पदोन्नति हेतु नामांकन होने पर भी विशेष पदोन्नति प्रदान नहीं किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी द्वारा कुख्यात जघन्य अपराध करने वाले ईनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाई गई, जिसके चलते आदेश दिनांक 12.08.2016 के द्वारा अपीलार्थी का पुरूस्कार एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा पर राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम,

1989 के नियम 28 (अ) के प्रावधानानुसार वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हेतु विशेष नामांकन किया गया, जिसमें अपीलार्थी के साथ सहकर्मी श्री हरि सिंह का भी नामांकन विशेष पदोन्नति हेतु किया गया। श्री हरि सिंह को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 के विरूद्ध कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर योग्यात्मक परीक्षा के आधार पर नियमित पदोन्नति प्रदान की गई और तत्पश्चात् आदेश दिनांक 13.08.2019 के द्वारा श्री हरि सिंह को उक्त नियम 1989 के नियम 28 (अ) के प्रावधानानुसार हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के पद पर वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई, जबकि अपीलार्थी का भी नाम विशेष पदोन्नति हेतु पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के लिए नामांकन किया गया था, परंतु उसे पी.सी.सी. के लिए नहीं भेजा गया। प्रत्यर्थी विभाग के हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी का विशेष पदोन्नति आदेश व नियमित पदोन्नति आदेश एक ही वित्तीय वर्ष में होने के कारण अपीलार्थी द्वारा महानिरीक्षक पुलिस अपराध शाखा, जयपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2018 को स्वीकार योग्य नहीं है। हमारे विनम्र मत में आदेश दिनांक 16.08.2016 के बिंदु संख्या 3 में यह स्पष्ट अंकित है कि विशेष पदोन्नति के आदेश उपरांत विशेष पदोन्नति आदेश दिनांक से पूर्व की रिक्तियों के आधार पर नियमित पदोन्नति हो जाने की स्थिति में विशेष पदोन्नति नियमित पदोन्नति के अग्रिम पद पर मानी जावे। इस प्रकार अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 के विरूद्ध योग्यात्मक परीक्षा के आधार पर कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर नियमित पदोन्नति प्रदान की गई और तदुपरान्त अपीलार्थी हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के पद पर विशेष पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को विशेष पदोन्नति का लाभ नियम 28 (अ) के प्रावधानानुसार नहीं दिया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किया गया यह कृत्य मनमानापूर्ण परिलक्षित होता है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा *एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10186/2011 देरावर सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.07.2014 तथा डी.बी.सी.एस.ए. (रिट) संख्या 399/2005 मोहम्मद युनुस खान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2008 एवं डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 959/2011 अनूप सिंह राठौड़ बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.04.2018* में सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कार्मिकों को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28(अ) के अनुसार अग्रिम पदोन्नति देना सही एवं उचित माना है।

उक्त विधि एवं प्रावधानों के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को विशेष पदोन्नति अग्रिम पद की नहीं दी गई जबकि नियमित पदोन्नति होने के पश्चात् नियमानुसार विशेष कार्यों के लिए जो पूर्व में विभाग द्वारा पुरस्कार एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा के आधार पर विशेष पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया था। इस प्रकार महानिदेशक पुलिस के आदेश दिनांक 16.08.2016 के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो अनुचित व अयुक्तियुक्त परिलक्षित होता है। अपीलार्थी भी उक्त कार्मिकों की भांति सराहनीय एवं उत्कृष्ट जैसे विशेष कार्यों के लिए नियमित पदोन्नति के पश्चात् अग्रिम पद पर विशेष पदोन्नति प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती हैं तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2019 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.08.2016 के प्रकाश में नियमित पदोन्नति के पश्चात् आगामी रिक्ति वर्ष में अग्रिम पद सहायक उप निरीक्षक के पद पर विशेष पदोन्नति समस्त पारिणामिक लाभों सहित देते हुए पदोन्नत किया जावे और उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य